वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 12.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 12.04.2025

अवैध निर्माण कराया सील

वाराणसी। वीडीए की ओर से शुक्रवार को सिकरौल वार्ड में मनीष कुमार सिंह की ओर से अवैध निर्माण कराया जा रहा था। जिसे वीडीए ने सील कराया। अर्दली बाजार पहाड़पुर में डॉ. पुनीत वाली गली में मनीष 80 वर्गमीटर में भूतल का निर्माण कर फिनिशिंग का काम अवैध तरीके से करा रहे थे। मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने इसे सील कराया। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 12.04.2025

अवैध निर्माण किया सील

जासं, वाराणसी : जोन एक के सिकरौल वार्ड में अर्दली बाजार में मनीष कुमार सिंह अवैध तरीके से निर्माण कर रहे थे। विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि अवैध निर्माण को सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 12.04.2025

बहुमंजिली इमारतों में तैनात होंगे फायर सेफ्टी आफिसर

जागरण संवाददाता, वाराणसी : बहुमंजिली इमारतों के साथ ही हास्पिटल, होटल आदि में आग को तत्काल काबू करने के लिए अब इन जगहों पर फायर सेफ्टी आफिसर-फायर कर्मियों की तैनाती होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा के अधिनियम -2022 की धारा 33 में बदलाव करके इसे अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने वाले अस्पताल संचालक, होटल मालिक, माल-मल्टीप्लेक्स आदि से अग्निशमन विभाग द्वारा जुर्माना वसूल किया जाएगा।

बहुमंजिला अस्पताल, बहुमंजिली इमारतें (होटल, व्यवसायिक भवन, मल्टी प्लेक्स, बड़ी फैक्ट्रियां आदि) में अग्निशमन विभाग द्वारा नोटिस जारी करने के बाद एक माह के भीतर ही फायर सेफ्टी आफिसर-कर्मचारी की तैनाती करनी होगी। इसके लिए फायर सर्विस मुख्यालय (लखनऊ) द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव का विवरण बताया गया है। फायर सेफ्टी आफिसर के लिए फायर इंजीनियरिंग-डिप्लोमा कोर्स, सब फायर कोर्स, स्टेशन फायर आफिसर कोर्स या राज्य सरकार से सेवानिवृत्त हुए अग्निशमन विभाग के कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे।

- उप्र अग्निशमन तथा आपात सेवा के अधिनियम-2022 की धारा 33 में हुआ बदलाव
- सेवानिवृत्त फायर कर्मी व दो वर्ष तक के अग्नि सचेतक प्रमाण पत्र धारी को भी मिलेगा मौका

> बड़े अस्पताल और बहुमंजिली इमारतों में फायर सेफ्टी अधिकारी की अब तैनाती होगी, इससे इन जगहों पर आग लगने की घटनाओं पर तत्काल काबू पाया जा सकेगा। शासन का यह निर्णय आमजन के हित में है। फायर सेफ्टी आफिसर की भर्ती और उनका वेतन भवन स्वामी को करना है और नियुक्ति अग्निशमन विभाग द्वारा की जाएगी।
> - आनंद सिंह राजपूत, मुख्य अग्निशमन अधिकारी।

हास्पिटल और बहुमंजिली इमारतों में फायर सेफ्टी आफिसर तैनात नहीं करने पर संबंधित लोगों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। जुर्माने की दर को भी शासन ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

दैनिक जागरण–दि0 12.04.2025

अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण आदेश की खुलेगी फाइल

जांच में मामला आया सामने, लिपिक ने दवा रखी थी आदेश की फाइल

- जोनल अधिकारियों को लिखा पत्र, निकलवाएं पुरानी फाइल
- अवर अभियंता होंगे जिम्मेदार लिपिक के खिलाफ कार्रवाई तय

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अवैध निर्माण करने पर वाराणसी विकास प्राधिकरण से ध्वस्तीकरण का आदेश पारित होने के बाद कार्रवाई नहीं होने पर वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने नाराजगी जाहिर की है। एक जांच में मामला सामने आया है कि ध्वस्तीकरण का आदेश होने के बाद भी जोन के लिपिकों ने फाइल दबा रखी है। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से अवैध निर्माण करने वालों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। सचिव ने सभी जोन के जोनल अधिकारियों को पत्र लिखकर भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश की फाइलों को निकलवाने को कहा है। पाक्षिक समीक्षा में ध्वस्तीकरण फाइलों पर चर्चा की जाएगी। जवाबदेही वार्ड के अवर अभियंता की होगी।

अवैध निर्माण होने पर वीडीए के अवर अभियंता भवन स्वामी को नोटिस थमाने के साथ शमन मानचित्र दाखिल करने को कहते हैं। फिर भी निर्माण होने पर सील की कार्रवाई करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप देते हैं। इसके बाद ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करते हैं। कई भवनों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है लेकिन ज्यादातर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती है। निर्माणाधीन भवन में कोई हादसा होने पर वीडीए कार्रवाई की फाइल निकालकर सीना चौड़ा कर लेता है जिससे कोई आरोप नहीं लगे। एक जांच में वीडीए सचिव ने पाया कि सभी वार्डों में अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश पारित है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। जोन के लिपिक की जिम्मेदारी है कि इन फाइलों को निकालकर जोनल अधिकारी के पास रखने के साथ उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करें लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। जोनल अधिकारी ध्वस्तीकरण फाइलों को निकालने के साथ एक-एक भवन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्रमवार सूची बनाएंगे। फाइल नहीं निकालने पर संबंधित लिपिक के खिलाफ कार्रवाई तय है।

> ध्वस्तीकरण का आदेश पारित होने के बाद भी अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से उनका मनोबल बढ़ता है। कई फाइलें जोन के लिपिक स्तर दबी पाई गई है, अब इन फाइलों को निकालकर कार्रवाई की जाएगी जिससे अवैध निर्माण पर रोक लगने के साथ लोग नक्शा पास कराएं।
> -डा. वेद प्रकाश मिश्रा, सचिव, वीडीए।

न्यायाधीश–दि0 12.04.2025

वाविप्रा जोन-1 की टीम द्वारा की गई सीलबन्दी

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन-1,वार्ड-सिकरौल की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-सिकरौल के अन्तर्गत मनीष कुमार सिंह द्वारा भवन सं0 -एस0-3/12 व 3/14, अर्दली बाजार (डॉ पुनीत वाली गली) मौजा- पहाडपुर जिला-वाराणसी में लगभग 80 वर्गमीटर में भूतल तलो का निर्माण कर फिनिशिंग कार्य अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पक्ष द्वारा लगातार कार्य किये जाने पर आज दिनांक 11-04-2025 को भवन को सील कर दिया गया ।मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार उपस्थित रहे ।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 12.04.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण परवर्तन टीम ने की कार्यवाही

वाराणसी(विकास प्राधिकरण, वाराणसी जोन–1,वार्ड–सिकरौल की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी ।वार्ड–सिकरौल के अन्तर्गत मनीष कुमार सिंह द्वारा भवन सं0 –एस0–3/12 व 3/14, अर्दली बाजार (डॉ पुनीत वाली गली) मौजा–पहाडपुर जिला–वाराणसी में लगभग 80 वर्गमीटर में भूतल तलो का निर्माण कर फिनिशिंग कार्य अनाधिकृत रूप से निर्माण कराये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत पक्ष द्वारा लगातार कार्य किये जाने पर आज दिनांक 11–04–2025 को भवन को सील कर दिया गया ।मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता रोहित कुमार उपस्थित रहे ।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।